

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग (13.000 कि०मी०) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आवादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उक्त के क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज -VII के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट सिन्नी की आवादी 255 अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कारस्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते हैं। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहाँ युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कारस्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में वन पर्याप्त भूमि 8.100 है०, नाप भूमि 2.045 है०, सिविल सोयम भूमि 1.800 है० एवं मोटर मार्ग के निर्माण में उत्सर्जित मलवा निस्तारण स्थल हेतु नाप भूमि 2.45 है०, सिविल सोयम भूमि 4.50 है० प्रभावित हो रही है। जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वन भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 समरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग-अलग रंग से दर्शाया गया है।

समरेखण नं० 1 :- के अनुसार इस मोटर मार्ग का समरेखण स्थल जनपद पिथौरागढ़ में विकास खण्ड डीडिहाट के अन्तर्गत आदिचौरा से प्रारम्भ किया गया है, इस समरेखण में 0.7 हेयरपिन बैण्ड प्रस्तावित है इस समरेखण में मोटर मार्ग निर्माण करने में वृक्ष कम प्रभावित होते हैं तकनीकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है एवं अधिक से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। इस के अनुसार मोटर मार्ग की लम्बाई भी कम आती है। इस समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत हैं।

समरेखण नं० 2 :- के अनुसार इस मोटर मार्ग का समरेखण स्थल जनपद पिथौरागढ़ में विकास खण्ड डीडिहाट के अन्तर्गत आदिचौरा से प्रारम्भ किया गया है, इस समरेखण में 0.9 हेयरपिन बैण्ड प्रस्तावित है इस समरेखण की ल० 14.50 कि० मी० आती है। समरेखण की ल० अधिक होने के कारण तथा समरेखण का अधिकतर भाग नाप भूमि से होकर गुजरता है मोटर मार्ग का कुछ भाग कच्ची भूमि से भी गुजरता है। इस समरेखण में मोटर मार्ग का निर्माण करने में वृक्ष अधिक प्रभावित होते हैं तकनीकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड नहीं मिलता है एवं अधिक से अधिक आवादी लाभान्वित नहीं होती है। इस समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं० 2 को निरस्त कर समरेखण नं० 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों का समरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा समरेखण नं० 1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 13.000 कि०मी० लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार सिविल सोयम भूमि 9 मीटर, चौड़ाई एवं मलवा निस्तारण स्थल हेतु 10.350 है० प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।


कनिष्क अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
लो०नि०वि०
धारधूला


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
लो०नि०वि०
धारधूला


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
लो०नि०वि०
धारधूला

प्रपत्र-2

परिशिष्ट

(देखिये नियम-6)

राज्य सरकार तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-I

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावों के लिए
पूर्व अनुमति लेने का फार्म

अनुमति

- क) परिवारों की संख्या - शून्य
- ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या - शून्य
- ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) - शून्य
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हाँ/नहीं) - नहीं
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये) - संलग्न है
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा। - संलग्न है

दिनांक 3-06-2015

स्थान Dharchula

Pranav
प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर
Executive Engineer
नाम पी०एम०जी०एस०वाई,
लो०नि०वि० धारचूला

Shun
कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
लो०नि०वि०
धारचूला

184
सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
लो०नि०वि०
धारचूला

Pranav
अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
लो०नि०वि०
धारचूला

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

प्रपत्र-21

भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

1. परियोजना/स्कीम का सीन :-

जनपद पिथौरागढ़ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग (13.000 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

- | | | | |
|-------|---|---|---------------------|
| i) | राज्य/संघशासित क्षेत्र | - | उत्तराखण्ड |
| ii) | जिला | - | पिथौरागढ़ |
| iii) | वन प्रभाग | - | पिथौरागढ़ वन प्रभाग |
| iv) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | - | 1.0.35 हे० |
| v) | वन की कानूनी स्थिति | - | सिविल सोयम भूमि |
| vi) | हरियाली का घनत्व | - | 0.1 से 0.2 प्रतिशत |
| vii) | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० - 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए | - | संलग्न है |
| viii) | भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। | - | संलग्न है |
| ix) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | - | 2500 मी० (लगभग) |
| x) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हों, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जाए) | - | नहीं |
| xi) | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हों/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। | - | नहीं |
| xii) | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हों तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या | - | नहीं |

8-प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि - संक्षिप्त भूमि न्यूनतम है सर्वेक्षण के आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि आवश्यक अन्य कोई वैकल्पिक भूमि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ सदवार संस्तुत क्षेत्र क्या उपलब्ध नहीं है।

9-क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) - वन अधिनियम के उल्लंघन के यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कोई सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे कार्य नहीं किया गया है। है।

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

- | | | |
|------|---|---|
| i. | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। | - प्रतिपूरक वनीकरण सिविल एवं सोयम मौजा सिन्नी में किया जाना है। |
| ii. | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। | - मैप संलग्न है |
| iii. | रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि। | - संलग्न है |
| iv. | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परियोजना। | - 1.30 लाख प्रति है० |
| v. | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। | - संलग्न है |

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम 7 (XI, XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल

- | | | |
|------|--|--|
| i. | जिले का भौगोलिक क्षेत्र। | - 7169.00 है० |
| ii. | जिले का वन क्षेत्र। | - 913.824 है० |
| iii. | मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। | - 215750.56 है० |
| iv. | 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल - प्रतिपूरक वनीकरण | - 313.824 है० |
| (क) | दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित - वन भूमि | - 1112.00 है० |
| (ख) | वनेत्तर भूमि पर | - May 2015 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति 495=0 |
| (क) | वन भूमि पर | - 2186-00 है० |
| (ख) | वनेत्तर भूमि पर | - 495.00 है० |

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

दिनांक 6-6-2015

स्थान पिथौरागढ़

प्रस्ताव संस्तुति/विशेष अधिकारित
प्रस्तावक विभाग जिला वन संरक्षक
आपत्तिसरकार जिला वन संरक्षक
जिला वन संरक्षक
हस्ताक्षर
नाम
सरकारी मोहर
सिंधी
प्रभागीय वन अधिकारी
विशेषज्ञ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

प्रपत्र-2.2

भाग-III

- 14- सील, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है -
क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण
किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की
तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट
के रूप में संलग्न करें।
- 15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी -
सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से
सहमत है।
- 16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में -
सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों
के साथ विशेष सिफारिशें।

तिथि _____
स्थान _____

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

प्रपत्र-2.3

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने
या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की
विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक
अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल
टिप्पणी की स्पष्ट समीक्षा की जाये
और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये)

तिथि :
स्थान :

हस्ताक्षर:
नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

प्रपत्र-24

भाग-V

(उन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

- 18- राज्य सरकार की सिफारिश
(उपर्युक्त भाग- II या भाग- III या
भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

तिथि :
स्थान :

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

ग्राम्य विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

संख्या: 935/पी3-14/यूआरआरडी.ए./13

दिनांक: 07 सितम्बर, 2013

कार्यालय ज्ञान

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चम्पावत, टिहरी एवं पौड़ी गढ़वाल की 250-499 तक जनसंख्या की असंयोजित बसावटों को सड़कमाली समर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार स्टेज-1 एवं स्टेज-2 के 16 मार्ग, कुल 28 मार्ग, अनुमानित लम्बाई 224.40 किमी० का ध्यान रखा गया है। इन मार्गों के विस्तृत सर्वेक्षण तथा मार्गों के समरेखण में पड़ने वाली समस्याएँ नापमूनि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव तैयार कर कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार व राजस्व विभाग को प्रेषित किये जाने एवं एन०आर०आर०डी०ए०, भारत सरकार के आदेशानुसार डी०पी०आर० गठन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त की जा रही है। अतः इन मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार से प्राप्त होने पर पृथक् से जारी की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(विनोद फोनिवा)

सचिव

ग्राम्य विकास विभाग

तिलिपे निर्मितलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

मुख्य अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर, देहरादून।

मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चम्पावत, टिहरी एवं पौड़ी गढ़वाल।

अधीक्षक अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, लोक निर्माण विभाग, मुरारी, अल्मोड़ा एवं श्रीनगर।

अधिसूचनी अभियन्ता, पी०आई०यू० (पी०एम०जी०एस०वाई०), काशी (देहरादून), उत्तरकाशी, डीडीहाट, पिथौरागढ़, चम्पावत, नरेंद्रनगर एवं कोटद्वार।

संलग्नक यथोपदि।

सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग



1935 PS-4/8-07117

1935 PS-4/8-07117



परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित आदिचौरा-सिन्नी मोटर मार्ग(13.00 कि.मी.) तक का नवनिर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 18/02/15 को प्रश्नगत परियोजना के लिए वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वनविभाग की ओर से श्री हमाद सिंह, वनदारोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री बी.के. राह पटवारी, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री पंडित रामादेवी कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार वनभूमि/नापभूमि प्रभावित हो रही है।

आश्रित वनभूमि 8.10 हे०, सिविल सोयम वनभूमि 225 हे०, वनपंचायत भूमि 0.00 हे०, एवं नाप भूमि 2.045 हे० प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वनभूमि मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से सिन्नी (वामा) गाँव व 254 की जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वनभूमि में 495 वृक्षों व खिलसा पर 227 वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

उक्त मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि 9.00 मी० चौड़ाई में प्रत्यावर्तित किये जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। परन्तु वृक्षों का पातन मात्र 7.00 मी० चौड़ाई में ही कराया जायेगा। पातन होने वाले वृक्षों की गणना 7.00 मी० चौड़ाई में ही की गयी है।

क्षेत्र हमाद सिंह
डीपक सिंह

क्षेत्र पंचायत-नाम
वि०ख०-मुनस्यारी (पिथौरागढ़)

(राजस्व विभाग प्रतिनिधि) (वनविभाग प्रतिनिधि)

(प्रयोक्ता एजेन्सी प्रतिनिधि)

(सहायक अभियन्ता)

उपस्थित अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
पीएमजीएसवाई खण्ड लो.नि.वि.
धारचूला (पिथौरागढ़)

वन विभाग अधिकारी
खैरीहाट वन क्षेत्र

अधिशारी अभियन्ता
पीएमजीएसवाई खण्ड लो.नि.वि.
धारचूला (पिथौरागढ़)

हमाद सिंह
क्षेत्र प्रमाण-2
क्षेत्र पंचायत सिन्नी
वि०ख० मुनस्यारी
जनपद पिथौरागढ़

ह०/
(जिलाधिकारी)

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र खैरीहाट
तह० मुनस्यारी
दिनांक 18/3/15

ह०/
(प्रभागीय वनाधिकारी)

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन विभाग
पिथौरागढ़

तहसीलदार
मुनस्यारी (पिथौरागढ़)

प्रपत्र-5

SITE INSPECTION REPORT. NOT BELOW THE RANK DCF (For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer, P.W.D PIU- I PMGSY Dharchula, for diversion under FCA-1980) of 10.35 ha of forest land non-forestry purpose The project envisages the use of forest land for construction of **Aadichaura to sinni** Motor Road under PMGSY 13.000 kms. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 3-6-2015.....

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RE/PF/un-classed/Protect forest measuring 10.35 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col 2 part-1 is unavoidable and is minimum required for the project yes.

Whether any rare/ endangered/unique species of flora and fauna found in the area, if, so the detail there of:- No

Whether any protected archeological/ heritage site/ defense establishment or any other important monuments is located in the area, if so the details there of with NOC form competent authority, if required. Not required.

The user agency has not violated the provisions of forest (Conversation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. ✓

It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act, 1980 provisions. A detail report as per Para 19 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal Hence, The Proposal is recommended for acceptance.

Place: Pithoragath
Date: 6-6-2015

Signature
Name: (Dr. G. P. Singh)
Designation: प्रभागीय वन अधिकारी
Office Seal: पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

NB i. state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted
ii. Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not Applicable

As per letter 2-2/2000 FC dated 16102000 from Ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCP is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation forests is required

Performa for comparison between identified alignments

Sl.No	Variables	Alignment No-1	Alignment No-2
1	Topography	Alignment takes off 24 Kms (Madkot) ahead from Munsyari Jauljibi motor road.	Alignment takes off 8 Kms ahead from proposed alignment.
2	Length of Road	13.000 Kms	14.500
3	Bridging requirement No. and Length	Nil	Nil
4	Geometric		
	(a) Gradients	1:20R, 1:18R, LEVEL, 1:20R, 1:19R, 1:18R, 1:24R, 1:20R	1:14R, 1:16R, 1:12R, 1:10R, 1:12R, 1:10R, 1:8R
	(b) Curves, H.P Bends	All curves as per I.R.C. 07 H.P. Bends	09 H.P. Bends, curves are very sharp
5	Existing Means of communication, mule path, jeep, Tracks etc.	Mule Path and foot track.	Mule Path and foot track.
6	Right of way, bringing out construction on account of built up areas, monuments and other structures.	(1) - Cultivated - kms 2- Un-Irrigated - Kms 3- Civil Soyam & Van pyanchat- Kms	(1) - Cultivated - kms 2- Un-Irrigated - Kms 3- Civil Soyam & Van pyanchat- Kms
7	(a) Terrain & Soil Condition.	E&B, OR, HR	E&B, OR, HR
	(vi) Cliffs and gorges.(vii) Drainage characteristics of the area including susceptibility to flooding (viii) General elevation of the road indicating maximum and minimum height negotiated by main ascends and descends (ix) Variations extants and types.	(vi) Nil (vii) Good natural drainage, jemie susceptibility to flooding is minimum. (viii) Min and Max. hights 2450m and 2700m.	(vi) Nil (vii) Bad drainage, jemie susceptibility to flooding is maximum. (viii) Min and Max. hights 2450m and 2700m.
8.	Climate Condition: (a) Temperature Monthly max. & min. reading.(b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available) (c) Snowfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available) (d) Wind direction and velocities (e) Fog Condition.(f) Exposure to sun.(g) Unusual weather condition like cloud burst etc.	a- Max 30 C, Min 3C b- 1050mm c- Dec to Jan (0.5 To 0.80 feet) d- From North to South, moderate velocity. e- Negligible. f- Well expose to sun. g- Good	a- Max 30 C, Min 3C b- 1050mm c- Dec to Jan (0.5 To 0.80 feet) d- From North to South, moderate velocity. e- Negligible. f- Well expose to sun. f- Good
9.	Facilities resources. (a) Landing ground. (b) Dropping Zone. (c) Food stuffs. (d) Labour local availability and need for import. (e) Construction material (Timber, Bamboo, Sand, Stone, Shingle etc extent of their availability and lead involved.	a- Nil b- Nil c- Pithoragarh. d- 50% labors availale locally and rest from	a- Nil b- Nil c- Pithoragarh. d- 50% labors availale locally and rest from pithoragarh, Tanakpur

प्रपत्र-8.1

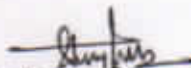
परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग (13.000 कि०मी०) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण व उनके निरस्त किये जाने का कारण का प्रमाण-पत्र

संरेखण नं०	प्रभावित वन भूमि (हे० में)	प्रभावित वृक्षों की संख्या	मार्ग की लम्बाई	अन्य कारण (एच.पी.बैण्ड व अन्य भू- गर्भीय कारण)
संरेखण-1	10.35	722	13.000	07 एच.पी.बैण्ड, भूवैज्ञानिक की संस्तुति
संरेखण-2	13.05	913	14.500	09 एच.पी.बैण्ड, ग्राम वासीयों की आपत्ति

संरेखण नं० 1 :- के अनुसार इस मोटर मार्ग का संरेखण स्थल जनपद पिथौरागढ़ में विकास खण्ड डीडोहाट के अन्तर्गत आदिचौरा से प्रारम्भ किया गया है, इस संरेखण में 07 हेयरपिन बैण्ड प्रस्तावित हैं इस संरेखण में मोटर मार्ग निर्माण करने में वृक्ष कम प्रभावित होते हैं तकनीकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है एवं अधिक से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। इस के अनुसार मोटर मार्ग की लम्बाई भी कम आती है। इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत हैं।

संरेखण नं० 2 :- के अनुसार इस मोटर मार्ग का संरेखण स्थल जनपद पिथौरागढ़ में विकास खण्ड डीडोहाट के अन्तर्गत आदिचौरा से प्रारम्भ किया गया है। इस संरेखण में 09 हेयरपिन बैण्ड प्रस्तावित हैं इस संरेखण की ल० 14.50 कि० मी० आती है। संरेखण की ल० अधिक होने के कारण तथा संरेखण का अधिकतर भाग नाप भूमि से होकर गुजरता है मोटर मार्ग का कुछ भाग कच्ची भूमि से भी गुजरता है। इस संरेखण में मोटर मार्ग का निर्माण करने में वृक्ष अधिक प्रभावित होते हैं तकनीकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड नहीं मिलता है एवं अधिक से अधिक आवादी लाभान्वित नहीं होती है। इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
लो०नि०वि०
धारचूला


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
लो०नि०वि०
धारचूला


अधिरासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
लो०नि०वि०
धारचूला

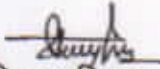

जिला अधिकारी
पिथौरागढ़


प्रभारी वन अधिकारी
पिथौरागढ़

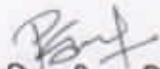
परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग (13.000 कि०मी०) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वैकल्पिक संरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु विभिन्न उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया गया व संरेखण -1 वर्तमान विकल्प सर्वदा उपयुक्त पाया गया।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
लो०नि०वि०
धारचूला


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
लो०नि०वि०
धारचूला


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
लो०नि०वि०
धारचूला


ग्रामीण वन अधिकारी
प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग (13.000 कि०मी०) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

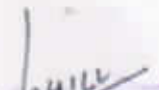
अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की माँग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रायोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित ^{10.35}~~11.459~~ है० वन भूमि की माँग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
लो०नि०वि०
धारचूला


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
लो०नि०वि०
धारचूला


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
लो०नि०वि०
धारचूला


प्रमुख अधिकारी
पिथौरागढ़

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

उद्धरण खतौनी

परियोजना का नाम- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

ग्राम - ~~पट्टी~~ पट्टी-~~पट्टी~~ तहसील - ~~पट्टी~~ ~~सिन्नी~~ ~~रिगोनेरा~~ ~~सुनसारी~~ जनपद- पिथौरागढ़

क्रम संख्या	खाता नं०	खातेदार का नाम	खेत नं०	कुल रकबा	अर्जित रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	00037	बलवीर सिंह	9190	0.010	0.008	
2		s/o उमैद सिंह	9191	0.010	0.008	
3			9192	0.008	0.006	
4			9193	0.016	0.014	
5			9194	0.004	0.004	
6			9195	0.018	0.016	
7			9196	0.016	0.015	
8			9197	0.003	0.003	
9			9198	0.013	0.010	
10			9199	0.003	0.003	
11			9200	0.003	0.003	
12			9201	0.008	0.006	
13			9202	0.005	0.005	
14			9203	0.005	0.004	
15			9204	0.005	0.004	
16			9206	0.010	0.008	
17			9207	0.013	0.010	
18			9208	0.013	0.010	
19			9209	0.014	0.012	
20		योग		0.177	0.149	
21	00014	खुशाल सिंह s/o कीटर सिंह	6107	0.006	0.005	
22			6117	0.010	0.008	
23			6122	0.023	0.008	
24			6123	0.004	0.020	
25			6124	0.009	0.008	
26			6125	0.025	0.020	
27			6126	0.013	0.010	
28			6133	0.015	0.012	
29			6134	0.014	0.012	
30			6135	0.005	0.004	
31		योग		0.124	0.107	
32		त्रिलोक सिंह	6322	0.010	0.008	
33			6323	0.005	0.004	
34			6324	0.010	0.008	
35			6325	0.004	0.003	
36			6326	0.004	0.003	
37			6327	0.004	0.005	
38		योग		0.039	0.031	

राजस्व उप निरीक्षक

क्षेत्र.....रिगोनेरा.....

तहसील.....सुनसारी.....

तहसीलदार
सुनसारी (पिथौरागढ़)

कुल — 0.287

उद्धरण खतौनी

परियोजना का नाम- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

ग्राम ~~धरमूला~~ पट्टी ~~धरमूला~~, तहसील - ~~धरमूला~~, जनपद- पिथौरागढ़
~~सिन्नी~~ ~~मुनस्यारी~~

क्रम संख्या	खाता नं०	खातेदार का नाम	खेत नं०	कुल रकवा	अर्जित रकवा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	250	रास्ता	6892	0.074	0.024	
2			6905	0.010	0.010	
3			6909	0.100	0.060	
4			6400	0.015	0.015	
5			6996	0.045	0.015	
6			6359	0.053	0.026	
7				0.252	0.150	
8	246	रीली	6282	0.014	0.030	
9			6895	0.290	0.010	
10			6890	0.108	0.100	
11			3595	0.138	0.030	
12				0.251	0.200	
13	245	रास्ता	6350	0.370	0.150	
14			6443	0.038	0.010	
15			6452	0.060	0.020	
16			6443	0.879	0.130	
17			6891	1.525	0.500	
18			6820	0.580	0.100	
19			6993	0.449	0.100	
20			8860	0.110	0.050	
21			8714	0.974	0.300	
22			8818	0.150	0.090	
23				5.127	1.450	
24						
25				कुल भूमि	1.400	
26						

5.E.

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र...सिन्नी...
तह...मुनस्यारी

तहसीलदार
मुनस्यारी (पिथौरागढ़)

:: प्रारूप-16 ::

परियोजना का नाम :-

जनपद पिथौरागढ़ में प्रधान गन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग (13.000 कि०मी०) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का विवरण।

क्र० सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (हे० में)
1	आरक्षित वन भूमि	9000.00	9.00	8.100
2	सिविल सोयम भूमि	2000.00	9.00	1.800
3	वन पंचायत भूमि	—	—	—
4	मलवा निस्तारण सिविल सोयम भूमि	—	—	0.450 1.559
वन-भूमि का योग				10.35 11.459
5	नाप भूमि मलवा निस्तारण हेतु नाप भूमि	2000.00 —	9.00 —	1.800 0.245
कुल योग-				13.259 12.595

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र...
तह०...
दिनांक...

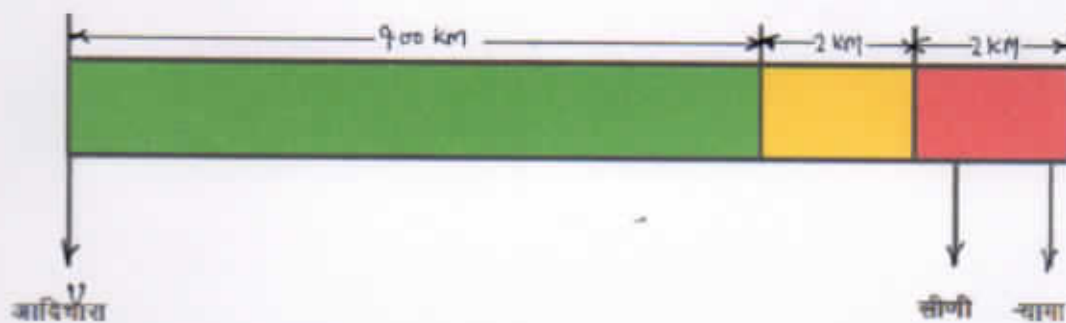
तहसीलदार
पुनस्यारी (पिथौरागढ़)

ह०/...
प्रयोक्ता एजेन्सी

पिथौरागढ़
पिथौरागढ़

परियोजना का नाम - जनपद पिथौरा रागड में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क
योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, आदिचौरा से सिन्नी
मोटर मार्ग (13.000 कि०मी०) नव निर्माण हेतु वन भूमि
हस्तान्तरण प्रस्ताव।

Bar Chart



	आरक्षित वन भूमि
	सिविल सावध भूमि
	नाप भूमि

[Signature]
J.E.

[Signature]
A.E.

[Signature]
Executive Engineer
P.M.G.S.Y. Division
W.D. Dharchula, Pithoragarh

[Signature]
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र... पिथौरा
सड़क... मुन्स्यारी
विभाग...
शा. अ. धा.

[Signature]
मुख्य निरीक्षक
मुन्स्यारी (पिथौरा)

[Signature]
प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरा वन विभाग
पिथौरा
प्रभागीय वन अधिकारी

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

परियोजना का नाम व स्थल— जनपद पिथौरागढ़ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत फेज-XII में प्रस्तावित, आदिचौरा से सीणी मोटर मार्ग (13.000 कि०मी०) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वृक्षारोपण स्थल का नाम— सीणी

वृक्षारोपण हेतु क्षेत्रफल: — 10.350 है०

प्रस्तावित किये जाने वाले पौधों की संख्या— 2000 प्रति है० पौधे

क्र० सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	प्रति	घनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्वे एवं सीमांकन	1	है०	97.00	है०	97.00
2	क्षेत्र की सफाई(झाड़ी कटान आदि)	1	है०	584.00	है०	584.00
3	अग्रिम दीवाल बन्दी(फन्सिंग) प्र० है० 84 घ०मी० औसत	1	है०	26460.00	है०	26460.00
4	गड्डे खुदान (.30x.30x.45)	2000	गड्डे	7.33	गड्डे	14660.00
5	निरीक्षण बटिया बनाना	1	है०	485.00	है०	485.00
6	पौधों की कीमत(प्रथम वर्ष)	2000	है०	5.89	है०	11772.00
7	अन्य व्यय जैसे यंत्र,समन्त्र,औजार तैज करना वर्षा जल संग्रहण हेतु आवश्यकतानुसार गड्डे खोदना	0.5	है०	400.00	है०	400.00
8	प्रवेश सीढ़ी	10	है०	662.00	है०	662.00
9	जल संरक्षण कार्य	1.5	है०	7750.00	है०	7750.00
	योग प्रथम चरण					62870.00

द्वितीय चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	गड्डे भरान कार्य(.30x.30x.45)	2000	गड्डे	115.00	गड्डे	2300.00
2	पौधों की कीमत	2000	पौधे	1.15	पौधे	2300.00
3	पौधे डुलान कार्य	2000	पौधे	12780.00	पौधे	12780.00
4	पौधारोपण व बालबन्दी	2000	गड्डे	2.06	गड्डे	4120.00
5	निराई-गुडाई व मल्टिंग(दो बार)	2000	गड्डे	0.76x2	गड्डे	1520.00
6	खाद व दवा पर व्यय	2000	है०	4.20	है०	4.20
7	प्रथम वर्ष में वृक्ष या रोपण की देख-रेख व रख रखाव पर व्यय	1	है०	596/है०/पी०	है०	4968.00
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास,फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350.00	है०	350.00
	8.2 सुर्खा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	1	है०	225.00	है०	225.00
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों /समितियों को प्रोत्साहन देना। अ-प्रशिक्षण	1	है०	400.00	है०	400.00
	ब-प्रोत्साहन	1	है०	700.00	है०	200.00

9	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध बुलान हेतु टोकरी, सुतली बोरी आदि कय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलिथीन सीट कय वर्ष में दो-तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार-प्रसार एवं डेक्पूटेशन आदि कार्य	1.50	है०		है०	700.00
	योग द्वितीय चरण					29667.20

तृतीय चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय से दसम वर्ष रख रखाय व अनुक्षण कार्य 12 माह एवं अभिसुरक्षा आदि कार्य	8 वर्ष	है०	7152.00	है०	57216.00
	योग तृतीय चरण					57216.00
		कुल योग				149753.20

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति है० देय / 143000.00 -
 योजना निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल
 $10.350 \text{ है०} \times 2 = 20.700 \text{ है०} \times 143000.00 = 2960100.00$

ब्रह्मगीय राज अधिकारी
 निम्नलिखित वनाधिकारी
 पिछोराबाई

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग (लम्बाई 13.000 कि०मी०) तक का नव निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

::क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र::

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जौलजीवी मुनस्यारी मोटर मार्ग आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग (लम्बाई 13.000 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु आने वाली कुल सिविल सोयम २.२५० है०, आरक्षित वन भूमि ४.१० है० प्रभावित हो रही है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना राज्यभूमि सिविल सोयम में किया जाना प्रस्तावित है। अतः २००० है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल ग्राम सिन्नी सर्वदा उपयुक्त है।

ह० *Dile*
वन सेवाधिकारी

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

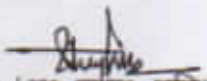
ह०

प्रभागीय वन अधिकारी

परियोजना का नाम:— जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग (लम्बाई 13.000 कि०मी०) तक का नव निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का सम्पूर्ण भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वनविभाग को कर दिया जायेगा।


कनिष्ठ/अ० सहा० अमि०
पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०
धारचूला (पिथौरागढ़)


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०
धारचूला (पिथौरागढ़)


अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०
धारचूला (पिथौरागढ़)

परियोजना का नाम:-जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग (लम्बाई 13.000 कि०मी०) तक का नव निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

पथवृक्षारोपण किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग द्वारा सड़क निर्माण के उपरान्त प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थान पर उचित प्रजातियों का रोपण किया जायेगा।

पथवृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

मोटर मार्ग का नाम- आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग लं० 13.000 कि०मी० क्षेत्र - 9.100 हे०
रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या 200 पौध प्रति है०

क्र.सं	कार्य का नाम	संख्या	नपत			मात्रा	दर (रु०)	धनराशि
			लं०	चौ०	उँ			
1	ट्री गार्ड बनाने हेतु गद्दा खुदान का कार्य	200	0.45	0.45	0.60	24.30	5.00	121.50
2	ट्री गार्ड बनाने हेतु पत्थरों का सिखोम्म तुलान (500मी. से 600 मी.) दूरी तक पत्थर ढोकर ट्री गार्ड बनाना- घटाया ट्री गार्ड का भीतरी भाग -	200	3.14	0.95 0.50	1.00 1.00	566.77 - 157.00 409.77	148.00	60645.96
3	गद्दा भरान का कार्य-	200	0.45	0.45	0.60	200	0.60	120
4	बैग पौधों की कीमत -	200	-	-	-	200	5.00	1000
5	बैग पौधों को ट्रक में लादना व उतारना	200	-	-	-	200	1.60	320.00
6	बैग पौधों का सिखोम्म तुलान	200	3.00	कि०मी० दूरी		200	0.75	150.00
7	बैग पौधों का पौधालय से ट्रक द्वारा तुलान	200	30.00	कि०मी० दूरी		200	37.75	7550.00
8	बैग पौधों का रोपण व थलाबन्दी निराई	200	-	-	-	200	0.90	180.00
9	गुड़ाई प्रथम वर्ष दो बार	500	-	-	-	200	0.33 0.90	66.00
10	अनुरक्षण कार्य प्रथम वर्ष	8 माह	-	-	-		1093.50	8748.00
11	अनुरक्षण कार्य प्रथम वर्ष से दस वर्ष तक	9 वर्ष	-	-	-		1093.50	118098.00
12	ट्री गार्ड में खाद कीटनाशक दवा आदि	-	-	-	-	-	L.S	2000.00
13	अन्य व्यय- फोटोग्राफी यन्त्र संयन्त्र आदि- योग प्रथम चरण	-	-	-	-	-	L.S	1000.00 199999.46

या 200000.00

पथ वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति है० - 2,000,00.00

पथ वृक्षारोपण हेतु आपेक्षित धनराशि - $9.100 \times 2,000,00.00 = 18,200,00.00$

13.00 कि० दूरी पर 200 पौध प्रति

वन क्षेत्र अधिकारी
वन क्षेत्र अधिकारी
ज्योतिष वन क्षेत्र

जनपदीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

जनपदीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित जौलजीवी मुनस्यारी मोटर मार्ग (बंगापानी) से जाराजिबली बानी मोटर मार्ग (लम्बाई 19.800 किमी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

पथवृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पथवृक्षारोपण की धनराशि का सम्पूर्ण भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग को कर दिया जायेगा।


कनिष्ठ/अ० सहा० अभि०
पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०
धारचूला (पिथौरागढ़)


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०
धारचूला (पिथौरागढ़)


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०
धारचूला (पिथौरागढ़)

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग (लम्बाई 13.000 कि०मी०) तक का नव निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन पंचायत भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण।

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 18/02/15 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना 9.00 मी० पर की गई तथा सड़क की चौड़ाई 9.00 मी० है। निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई -

वन पंचायत भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति										
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	योग
1			शून्य									
		योग										

वन क्षेत्र अधिकारी
पिथौरागढ़ जिला
राजि अधिकारी

प्रभागीय वन अधिकारी -
प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग (लम्बाई 13.000 कि०मी०) तक का नव निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सिविल सोयम भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण।

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 18/03/15 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना 9.00 मी० पर की गई तथा सड़क की चौड़ाई 9.00 मी० है। निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई -

सिविल सोयम भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति										योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	
1	सीणी सिविल	बांज	4	10	15	20	2	-	-	-	-	51
2		चीड़	-	5	7	2	-	-	-	-	-	14
3		काफल	4	5	7	5	1	-	-	-	-	22
4		बुराश	5	3	4	2	-	-	-	-	-	14
5		उत्तीस	6	8	5	5	4	2	-	-	-	30
6		फल्याट	2	5	4	2	-	-	-	-	-	13
7		कौल कुकाट	4	3	7	2	5	-	-	-	-	21
8		कटोज	2	4	6	3	-	-	-	-	-	15
9		चमखड़िक	3	6	8	5	2	1	-	-	-	25
	हुनेरा सिविल	बांज	-	7	1	1	-	-	-	-	-	9
		काफल	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
		चीड़	-	2	4	4	1	-	-	-	-	11
	योग		31	59	68	51	15	3	-	-	-	227

उपरोक्तानुसार गणना किये गए वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

वन क्षेत्र अधिकारी
पिथौरागढ़

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन
हस्त/प्रभागीय वन अधिकारी

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग (लम्बाई 13.000 कि०मी०) तक का नव निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

आरक्षित वनभूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण।

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 18/03/15 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना 9.00 मी० पर की गई तथा सड़क की चौड़ाई 9.00 मी० है। निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई -

आरक्षित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति										योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	
1	कक्ष 5-डी	बाँज	18	58	42	35	7	6	—	3	3	172
2		चीड़	6	6	32	22	8	5	—	—	—	79
3		काफल	10	5	3	2	—	—	—	—	—	20
4		बुराश	6	21	13	2	1	—	—	—	—	43
5		कोल कुकाट	5	27	10	12	2	2	—	—	—	58
6		फल्याट	4	9	13	8	2	1	—	—	—	37
7		आयार	4	9	6	1	—	—	—	—	—	20
8		मेहल	—	1	2	—	—	—	—	—	—	3
9		कटोज	—	8	7	2	—	—	—	—	—	17
10		पुतली	—	9	6	2	—	—	—	—	—	17
11		रक्त चंदन	—	4	5	6	1	—	—	—	—	16
12		चमखड़ि क	—	5	5	3	—	—	—	—	—	13
	योग		83	162	144	95	21	14	—	3	3	495

उपरोक्तानुसार गणना किये गए वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

वन क्षेत्र अधिकारी
पिथौरागढ़

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन
प्रभागीय वन अधिकारी

:: प्रारूप-19 ::

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग (लम्बाई 13.000 कि०मी०) तक का नव निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

क्र० सं०	भूमि की श्रेणी	व्यास वर्ग										
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	योग
1	आरक्षित वन भूमि	53	162	144	95	21	14	—	3	3	—	495
2	सिविल सौयम	31	59	68	51	15	3	—	—	—	—	227
3	वन पंचायत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	नाप भूमि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल योग :-	84	221	212	146	36	17		3	3		722

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

वन क्षेत्र अधिकारी
राज्य अधिकारी

ह०/-
प्रभागीय वनाधिकारी

तहसीलदार
मुनायरी

ह०/-
राजस्व विभाग
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र...
ह०...
वनांक...

ह०/-
जिलाधिकारी

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग (लम्बाई 13.000 कि०मी०) तक का नव निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बाँज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 18/03/15 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बाँज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं :-

क्र० सं०	भूमि की श्रेणी	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग सेमी में (गोलाई)										योग
				0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1.	आरक्षित वन भूमि	जाड़ापा नी बीट कक्ष 5-डी	बाँज	18	58	42	35	7	6	—	3	3	—	172
2.	सिद्धि ल सोयम		बाँज	4	17	16	21	2	—	—	—	—	—	60
3.	वन पंचायत		बाँज											
5.	नाप भूमि		बाँज											
	कुल योग :-			22	75	58	56	9	6	—	3	3	—	232

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बाँज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

वन क्षेत्र अधिकारी
खेडीहाट वन क्षेत्र

ह०/-वन संरक्षक,

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़